तापमान

भोपाल	31.6°	16.0°
इंदौर	33.1°	15.8°
जबलपुर	33.8°	16.8°
ग्वालियर	31.6°	15.9°

दैनिक
नईदुनिया

भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

वर्ष- 77
(भोपाल : वर्ष 39 अंक 107,पृष्ठ 12)
शनिवार 16 मार्च 2024
राजधानी संस्करण
कीमतः 3:00 रुपये

राजधानी... कांग्रेस के अंतर सिंह दरबार, पंकज सिंधवी भी...

खेल... ओब्लैक के दो बचाव से एटलेटिको सेमीफाइनल में...

व्यापार... वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद भारतीय बाजार स्थिर...

देश-विदेश... युद्ध के बीच मोहम्मद मुस्तफा फलस्तीन के...

www.naiduniaonline.com

केरल में मोदी की जनसभा, बोले-

द्रमुक, कांग्रेस का इतिहास घोटालों और भ्रष्टाचार से भरा

कन्याकुमारी (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक)-कांग्रेस गठबंधन तमिलनाडु को कभी भी विकसित राज्य नहीं बना सकता क्योंकि इसका इतिहास घोटालों और भ्रष्टाचार से भरा हुआ है।

श्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए देश के दक्षिणी हिस्से तक पहुंच बनाने के अभियान के तहत यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ, आपके पास (लोगों के पास) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कल्याणकारी योजनाएं हैं। दूसरी तरफ, आपके पास इंडिया समूह के घोटालों की सूची है। हमने लोगों को ऑप्टिकल फाइबर और 5जी इंटरनेट मुहैया कराया, लेकिन उन्होंने (इंडिया समूह ने) 2जी घोटाला करके लोगों के पैसे ले लिये। हमने उड़ान योजना शुरू की और उन्होंने हेलिकॉप्टर घोटाला शुरू किया। हमारे पास खेलो इंडिया के नतीजे हैं, उनके पास राष्ट्रमंडल खेल घोटाला है। उन्होंने कहा कि द्रमुक और कांग्रेस लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। द्रमुक 2जी घोटाले की सबसे बड़ी लाभार्थी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों ने देश को तोड़ने का सपना देखने वालों को खारिज कर दिया। अब, तमिलनाडु के लोग भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार तमिलनाडु में हमारा प्रदर्शन द्रमुक-कांग्रेस गठबंधन के अहंकार को चकनाचूर कर देगा। आज, देश के दक्षिणी छोर

कन्याकुमारी से जो लहर उठ रही है, वह बहुत दूर तक जाएगी। श्री मोदी ने इस वर्ष तमिलनाडु की अपनी पांचवीं यात्रा के दौरान द्रमुक पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी राज्य के भविष्य और विरासत की दुश्मन है तथा उससे जुड़े लोग भारतीय संस्कृति से नफरत करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले तमिलनाडु आया और महत्वपूर्ण मंदिरों के दर्शन किये, लेकिन द्रमुक सरकार ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रसारण रोकने का प्रयास किया। इस पर उच्चतम न्यायालय को तमिलनाडु सरकार को फटकार लगानी पड़ी। उन्हें (द्रमुक को) नयी संसद में सेंगोल की स्थापना भी पसंद नहीं आयी। उन्होंने कहा कि द्रमुक और कांग्रेस केवल महिलाओं को धोखा देना और उनका (शेष पेज 7 पर)

कोयंबटूर में मोदी के रोडशो को हाईकोर्ट से मिली मंजूरी पुलिस ने नहीं दी थी इजाजत

चेन्नई (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोयंबटूर में 4 किमी लंबे रोड शो को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी देने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु पुलिस ने आज सुबह कानून व्यरवस्थाई संबंधी चिंता और परीक्षा के आयोजन का हवाला देकर पीएम मोदी की रैली को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। साथ ही पुलिस की ओर से कहा गया था कि अन्यो राजनीतिक दलों को भी इसी तरह से अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। इसलिए इस मामले में किसी भी पक्ष को निशाना बनाने का सवाल ही नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि प्रधानमंत्री की रैलियों या कार्यक्रमों की सुरक्षा में राज्य सुरक्षा तंत्र की भूमिका बेहद कम होती है, जिनकी सुरक्षा विशेष सुरक्षा समूह द्वारा की जाती है। हालांकि पुलिस की ओर से जोर देकर कहा गया कि वे समान जिम्मेदारी मानते हैं। भाजपा की तमिलनाडु इकाई ने 18 मार्च को कोयंबटूर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रोड शो को अनुमति देने से इनकार करने वाले पुलिस के आदेश को चुनौती देते हुए शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट का (शेष पेज 7 पर)

चुनावी बांड की पूरी जानकारी नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

एसबीआई को सोमवार तक जबाव देने का आदेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी बांड के यूनिक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबरों सहित संपूर्ण विवरण (जो चुनाव आयोग को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए) का खुलासा नहीं करने पर शुक्रवार को फटकार लगाई और उसे नोटिस जारी करके सोमवार तक अपना जबाव दाखिल करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने एसबीआई को नोटिस जारी करते हुए कहा कि अदालत को सूचित किया गया कि चुनावी बांड जारी करने वाले बैंक ने प्रत्येक बांड की यूनिक अल्फ़ा न्यूमेरिक संख्या का खुलासा नहीं किया है। शीर्ष अदालत के समक्ष वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि 15 फरवरी 2024 के संविधान पीठ के फैसले के अनुसार सभी विवरणों का खुलासा किया जाना था। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चूंकि एसबीआई फैसले में एक पक्ष है इसलिए उसे नोटिस जारी किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि एसबीआई के वकील को यहां होना चाहिए था। पीठ ने कहा, यदि आप फैसले को देखें तो पता लगेगा कि हमने निर्दिष्ट किया है कि बांड नंबर प्रदान करना होगा। मुख्य याचिकाकर्ता एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण पेश हुए। चुनाव आयोग के एक आवेदन पर पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के समक्ष चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत चुनावी बांड का विवरण स्कैन किया जाना चाहिए और इसे वेबसाइट पर अपलोड करने के उद्देश्य से वापस किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग (शेष पेज 7 पर)

बैलेट से चुनाव कराने की याचिका पर विचार करने से सुको का इनकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में भारत के चुनाव आयोग को (ईसीआई) लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने का आदेश देने की मांग की गई थी। कांग्रेस की मथुरा जिला समिति की महासचिव नंदिनी शर्मा की दायर याचिका में ईवीएम के बारे में चिंता जताई गई थी। इस याचिका पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, हम कितनी याचिकाओं पर विचार करेंगे? हम धारणाओं के आधार पर नहीं चल सकते। हर पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होते हैं। हम इस पर विचार नहीं कर सकते। नंदिनी शर्मा ने अपनी याचिका में कहा था कि ईवीएम के बारे में विपक्षी दलों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। नंदिनी (शेष पेज 7 पर)

शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि, आदेश जारी

भोपाल (काप्र)। राज्य शासन ने शासकीय सेवकों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने के आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है।

महंगाई भत्ता दर एक जनवरी 2023 (भुगतान माह फरवरी 2023) से 7वें वेतनमान अंतर्गत महंगाई भत्ता की दर कुल 42 प्रतिशत स्वीकृत कर भुगतान किया जा रहा है। राज्य शासन के द्वारा उपर्युक्त दरों में 4 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए महंगाई भत्ते की दर 46 प्रतिशत कर दी गयी है। शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ एक मार्च 2024 (भुगतान माह अप्रैल 2024) से किया जाएगा। एक जुलाई 2023 से 29 फरवरी 2024 तक की एरियर राशि का भुगतान 3 समान किश्तों में क्रमशः माह जुलाई, अगस्त, सिंतबर 2024 में दिया जाएगा।

महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। राज्य शासन ने यह भी निर्देश दिये हैं कि शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट के प्रावधान से अधिक न हो।

मुख्यमंत्री ने दी बधाई

भोपाल (काप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ते की दर में 4 प्रतिशत की वृद्धि पर बधाई दी है। डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने तय किया है कि अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए वर्तमान महंगाई भत्ते की दर जो 42 है उसे बढ़ाकर 46 प्रतिशत किया जाए, इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं। सातवें वेतनमान के अंतर्गत एक जुलाई (शेष पेज 7 पर)

लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज

नईदिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा शनिवार को होने जा रही जाएगी। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेलटफॉर्म एक्सर पर यह जानकारी दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक, शनिवार दोपहर 3 बजे चुनावों के कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रें स होगी, जिसमें तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के साथ साथ, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तारीख़ों का भी ऐलान होगा। नव नियुक्त निर्वाचन आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने शुक्रवार को अपना प्रभार संभाल लिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए सभी विपक्षी दलों ने (शेष पेज 7 पर)

मुख्य सचिव वीरा राणा को छह माह का सेवा विस्तार

भोपाल(काप्र)। मुख्य सचिव वीरा राणा को केंद्र सरकार से छह माह का सेवा विस्तार मिल गया है। उनको 31 मार्च को सेवानिवृत्त होना था। इसके आदेश शुक्रवार को जारी हो गए। मध्य प्रदेश की 1988 बैंच की अधिकारी वीरा राणा को मुख्य सचिव के पद पर सेवा विस्तार मिल गया है। वे 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाली थीं। अब वे 30 सितंबर 2024 तक तक सीएस के पद पर बनी रहेंगी। केंद्र सरकार ने उनके छह माह सेवा विस्तार को मंजूरी के आदेश जारी कर दिए।

अब लोकसभा चुनाव वीरा राणा के कार्यकाल में ही होगा। विधानसभा चुनाव भी मतगणना भी उनके द्वारा ही कराई गई थी। बता दें मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की सेवा विस्तार की समयसीमा विधानसभा चुनाव के बाद खत्म हो गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने वरिष्ठता के आधार पर वीरा राणा को सीएस का प्रभार दिया था।

स्पेशल खबर *दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता के. कविता गिरफ्तार...*

पूछताछ के लिए दिल्ली ला रही ईडी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है।

ईडी अब के कविता को पूछताछ के लिए दिल्ली ले जा रही है। के कविता के हैदराबाद स्थित घर पर आज ही ईडी ने छापेमारी की थी, जिसके कुछ घंटों के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कविता ने ईडी के कुछ समन नजरअंदाज किए थे। इसी के बाद ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की थी। के कविता तेलंगाना में विधान परिषद की सदस्य हैं और पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। उनसे ईडी इस मामले में पहले भी पूछताछ कर चुकी है। हालांकि वह इस साल कम से कम दो बार समन के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हुई। कविता को ऐसे वक्त में गिरफ्तार किया गया है, जब लोकसभा चुनाव में कुछ ही हफ्तों का वक्त बचा है और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। साथ ही एक वीडियो में कविता के भाई और तेलंगाना के पूर्व मंत्री केटी रामा राव को ईडी के एक अधिकारी से भिड़ते देखा जा सकता है। कैमरे के सामने वह एक अधिकारी का नाम लेते हैं और दस्तावेज दिखाते हुए ईडी को लेकर कहते हैं, तलाशी खत्म हो गई है और गिरफ्तारी वारंट पेश किया गया है और अब वह कहती है कि (शेष पेज 7 पर)